परिपत्र संख्या- 115 /2026-SGST

F.No NGTPs (Reg)-1087239/2026-SGST

उत्तर प्रदेश सरकार

राज्य कर विभाग

जीएसटी (ऑडिट) अनुभाग

लखनऊ::दिनांक::26मई, 2026

समस्त ज़ोनल अपर आयुक्त, राज्य कर,
समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)राज्य कर,
समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: पंजीयन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने के सम्बन्ध में।

विभाग द्वारा किये जा रहे पंजीयन सत्यापन में पाया गया है कि बड़ी संख्या में करापवंचन में लिप्त व्यक्ति कूटरचित प्रपत्रों, काल्पनिक पतों तथा अन्य व्यक्तियों की पहचान का दुरुपयोग कर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने में सफल हो जा रहे हैं। ऐसे Non Genuine Taxpayers (NGTPs) केवल इस उद्देश्य से पंजीकृत होते हैं कि वह बिना किसी वास्तविक माल या सेवा की आपूर्ति के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) कपटपूर्ण ढंग से प्राप्त कर सकें और उसे आगे हस्तांतरित कर सकें।

इस सम्बन्ध में NGTPs के पंजीयनों के विश्लेषण में निम्नलिखित ऐसी प्रणालीगत कमियाँ प्रकाश में आई हैं, जो ऐसे कपटपूर्ण पंजीकरण को संभव बनाती हैं-

1. NGTPs के अधिकांश मामलों में पंजीयन के बाद भी निर्धारित समयावधि में भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता तथा प्राप्त प्रतिकूल भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का त्वरित संज्ञान नहीं लिया जाता, जो कि ऐसे NGTPs द्वारा कपटपूर्ण आईटीसी (Fraudulent Input tax credit) लेने में सफल होने का एक मुख्य कारण है।
2. विभागीय पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा नये पंजीयनों का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया जाता है।
3. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) द्वारा जोखिम-स्कोर आधारित उपकरण एवं जोनल बीफा लॉग-इन अपर आयुक्त, राज्य कर को उपलब्ध कराये गए हैं, परंतु विभागीय अधिकारियों द्वारा इनका पर्याप्त उपयोग नहीं किया जाता है।
4. साइबर सुरक्षा, साइबर ऑडिट, कंप्यूटर की फॉरेंसिक जाँच तथा GSTN के बीफाटूल्स के उपयोग में समन्वित प्रशिक्षण की कमी से डिजिटल धोखाधड़ी पकड़ने के प्रयास अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं।

5. NGTPs के विरुद्ध की गई कार्यवाही तथा पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही का विश्लेषण कर सुधारात्मक कदमों की कार्ययोजना का ना होना।

अतः उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुरूप पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ करने, NGTPs के पंजीयन को रोकने तथा फील्ड में कार्यरत ईकाईयों के कार्य में एकरूपता लाने के उद्देश्य से निम्नवत् निर्देश ज़ारी किए जाते हैं :-

1. <u>पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया</u>:-

1.1 <u>अभिलेखों का परीक्षण</u>:-

1.1.1-फॉर्म जीएसटी REG-01 में फोटोग्राफ, व्यवसाय की संरचना, मुख्य व्यवसाय स्थल, बैंक खाता आदि के संबंध में अपलोड किए जाने वाले प्रपत्रों की सूची निर्धारित है। सहायक आयुक्त उक्त प्रपत्रों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रपत्र स्पष्ट, पूर्ण और प्रासंगिक हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा भरे गए विवरण या जानकारी का भी सहायक आयुक्त द्वारा सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाए ताकि अपलोड किए गए प्रपत्रों के साथ सहसंबंध और क्रॉस-वेरिफिकेशन हो सके तथा आवेदक की प्रामाणिकता की जाँच हो सके। मुख्य तथा अतिरिक्त व्यवसायिक स्थलों के पते के विवरण तथा आवेदन के साथ अपलोड किए गए संबंधित प्रपत्रों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाए ताकि ऐसे व्यवसायिक स्थानों के पते की पूर्णता और शुद्धता की जाँच हो सके। इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो, पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत प्रपत्रों की प्रामाणिकता को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों जैसे भूमि रजिस्ट्री, बिजली वितरण कंपनियों, नगरपालिकाओं तथा स्थानीय निकायों की वेबसाइट आदि से क्रॉस-वेरिफाई किया जा सकता है।

1.1.2-जीएसटी पंजीयन के सभी नये आवेदनों की जाँच अतिरिक्त सतर्कता के साथ की जाए:-

(i) पहचान के प्रमाण एवं पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत प्रपत्रों का पंजीयन प्रदान करने से पूर्व उपलब्ध डेटाबेस एवं GSTN जोखिम स्कोर का उपयोग कर क्रॉस-सत्यापन किया जाए।

(ii) जिन पंजीयन प्रार्थना पत्रों में आधार ऑथेन्टिकेशन टैब में यह परिलक्षित हो कि आधार में दर्ज मोबाईल नम्बर और प्रार्थना पत्र में प्रयुक्त मोबाइल नम्बर में अन्तर है, ऐसे प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए।

(iii) फर्म के पंजीयन में कई अन्य फर्मों से सम्बद्ध एक ही मोबाइल नंबर/ ईमेल आईडी का उपयोग किया गया हो।

(iv) फर्म के पंजीयन हेतु प्रयुक्त PAN पूर्व में NGTPs के रूप में निरस्त किये जा चुके फर्म से सम्बन्धित हो।

(v) फर्म के पंजीयन हेतु प्रयुक्त PAN निरस्त पंजीयनों में पूर्व में प्रयुक्त हो।

(vi) साझेदारी वाली फर्मों (Partnership Firms) के साझीदार एवं कंपनी के डायरेक्टर्स के पैन पूर्व में निरस्त की जा चुकी फर्म अथवा NGTPs के रूप में निरस्त की जा चुकी फर्म से सम्बन्धित हो।

(vii) पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय Third Party Data/Information टैब में उपलब्ध PDS/DBT लाभार्थी होने की प्रास्थिति की जाँच अवश्य कर लें। यदि कोई आवेदनकर्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) / प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) लाभार्थी के रूप में परिलक्षित हो रहा है तो ऐसे आवेदन के निस्तारण में अतिरिक्त सतर्कता रखी जाए।

1.1.3-पंजीयन प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में समस्त सहायक आयुक्त इस बिंदु का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे कि यदि उनके लॉग इन पर प्राप्त ARN किसी अन्य खण्ड क्षेत्राधिकार का है तो प्रत्येक दशा में आगामी कार्यदिवस में ही उसको सम्बन्धित खण्ड के सहायक आयुक्त के लॉग इन पर स्थानांतरित कर दिया जाए।

1.1.4- सहायक आयुक्त द्वारा उपरोक्त वर्णित सतर्कता के साथ पंजीयन प्रार्थना पत्रों का परीक्षण करते हुए अधिनियम एवं परिपत्रों में निर्धारित समय सीमा में ही पंजीयन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

1.2 **<u>भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया</u>:-**

समस्त नये जीएसटी पंजीयनों का भौतिक सत्यापन UPGST Field visit App/GSTN Tax officer App के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इस संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाये–

1.2.1-पंजीयन प्रदान किये जाने के तुरंत बाद भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है तथा भौतिक सत्यापन के उपरांत भी जारी नवीन पंजीयन की सतत निगरानी की जानी आवश्यक है।

1.2.2-सत्यापन करने वाले अधिकारी, भौतिक सत्यापन के समय UPGST Field visit App/GSTN Tax officer App के माध्यम से व्यावसायिक परिसर के साथ-साथ फर्म के स्वामी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के साथ अपनी सेल्फी भी अपलोड करेंगे तथा यह फोटो लेते समय फोन की लोकेशन ऑन रखेंगे। यह फोटो आधारित सत्यापन फर्म के भौतिक अस्तित्व का प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान यह आवश्यक होगा कि पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का इस

आशय से साक्षात्कार अभिलिखित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी निर्दोष व्यक्ति के प्रपत्रों का प्रयोग छद्म रूप से नहीं किया गया है।

1.2.3-उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 25 के अनुरूप भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी पंजीयन प्रार्थनापत्र के साथ अपलोड किये गए प्रपत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान करेंगे। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट REG-30 को ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करते समय ''रिमार्क'' के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में प्रयुक्त प्रपत्रों की मूल प्रपत्रों से मिलान के सम्बन्ध में टिप्पणी अवश्य दर्ज की जाए।

1.3 **<u>भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट पर कार्यवाही</u>:-**

1.3.1-प्रत्येक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट UPGST Field visit App/GSTN Tax officer App में अंकित की जायेगी। प्रतिकूल भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की दशा में राज्य कर अधिकारी द्वारा उसी कार्यदिवस में इसकी सूचना सम्बन्धित सहायक आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से मिलकर दी जाए तथा REG-30 की प्रति पत्राचार के माध्यम से भी प्राप्त करायी जाए।

1.3.2-सहायक आयुक्त द्वारा प्रतिकूल भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुक्रम में पंजीयन निलम्बन / निरस्तीकरण की कार्यवाही आरम्भ की जाए।

1.3.3-प्रतिकूल भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर पंजीयन के परीक्षण में सहायक आयुक्त को यदि यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत पंजीयन NGTP है, जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में फर्म का पंजीकरण पंजीयन प्राप्ति की तिथि से निरस्त किया जाए।

1.4 **<u>नवीन पंजीकृत फर्म के सम्बन्ध में अपेक्षित सावधानियां</u>:-**

1.4.1-नवीन पंजीकृत फर्म द्वारा पंजीयन प्राप्ति के आरम्भिक माहों मे दाखिल किए जाने वाले जीएसटीआर-01 की निम्नवत् बिन्दुओं पर गहनता से जाँच अपेक्षित है:-

(i) फर्म द्वारा आरम्भिक माहों के जीएसटीआर-01 में केवल पंजीकृत फर्मों को 90% से अधिक आपूर्ति दिखाते हुए B2C की सप्लाई शून्य या नगण्य प्रदर्शित है।

(ii) फर्म द्वारा आरम्भिक माहों में ही बड़ी धनराशियों की B2B आपूर्ति प्रदर्शित है।

(iii) फर्म द्वारा आउटवर्ड सप्लाई में एक ही GSTIN को बार-बार बड़ी धनराशियों की invoices ज़ारी किया जाना प्रदर्शित है।

(iv) फर्म द्वारा संवेदनशील वस्तुओं यथा—आयरन स्टील, पान-मसाला, तम्बाकू उत्पाद, मेटल/प्लास्टिक स्क्रैप आदि की अत्यधिक मात्रा में आउटवर्ड सप्लाई प्रदर्शित है।

(v) फर्म द्वारा जीएसटीआर-1 में घोषित आउटवर्ड सप्लाई की धनराशि जारी आउटवर्ड ईवे-बिल की धनराशि से कम/अधिक है।

1.4.2-नवीन पंजीकृत फर्म द्वारा पंजीयन प्राप्ति के आरम्भिक माहों मे दाखिल किए जाने वाले जीएसटीआर-3बी की निम्नवत् बिन्दुओं पर गहनता से जाँच अपेक्षित है:-

(i) फर्म के जीएसटीआर-2ए में प्रदर्शित इनवर्ड सप्लाई के व्यापारियों की चेन एनालिसिस के आधार पर उनके बोनाफाईड होने की जाँच अपेक्षित है।

(ii) फर्म के जीएसटीआर-1 में घोषित आउटवर्ड सप्लाई के सापेक्ष जीएसटीआर-2ए में नगण्य अथवा शून्य इनवर्ड सप्लाई प्रदर्शित है।

(iii) फर्म के जीएसटीआर-3बी में क्लेम की गई आईटीसी की धनराशि जीएसटीआर-2ए में प्रदर्शित आईटीसी से अधिक है।

(iv) फर्म के जीएसटीआर-3बी में घोषित करदेयता जीएसटीआर-1 में प्रदर्शित करदेयता से कम है।

1.4.3-नवीन पंजीकृत फर्म के बैंक अकाउण्ट वैलिडेशन की प्रास्थिति की गहनता से जाँच अपेक्षित है। यदि नियमानुसार फर्म के प्रोपराईटर/ पार्टनर/डायरेक्टर/एचयूएफ /एसोसियेशन ऑफ पर्सन/कम्पनी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम पर बैंक अकाउण्ट, नवीन पंजीकृत फर्म के पोर्टल पर अपडेट नहीं पायी जाती है तो इस तथ्य के आलोक में फर्म को हाई रिस्क स्कोर की कैटेगरी में मानते हुए रेडफ्लैग की श्रेणी में रखा जाए।

1.4.4-ऐसी नवीन पंजीकृत फर्म जिसका "Bank Account validation" failed या invalid प्रदर्शित हो रहा हो, उन्हें संवेदनशील मानते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर भौतिक सत्यापन कराया जाए।

1.4.5-किसी फर्म की रिटर्न स्क्रूटिनी के दौरान यदि कोई विसंगति प्रकाश में आती है अथवा उपर्युक्त किसी भी प्रकार के रेड फ्लैग पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा तत्काल फ़र्म की जाँच हेतु संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) से अनुरोध किया जायेगा जिनके द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 71 के अन्तर्गत त्वरित कार्यवाही कराई जायेगी। अनियमितता प्रकाश में आने पर किसी भी राजस्व क्षति हेतु दायित्व उस अधिकारी का निर्धारित किया जायेगा जिसकी लॉगिन पर फर्म उपलब्ध होगी।

1.5 <u>नवीन पंजीयन का छः माह के भीतर पुनः सत्यापन</u>:-

1.5.1-बीफा पोर्टल पर New Tax-payers Monitoring View टैब में माहवार नये पंजीकृत करदाताओं को रिस्क स्कोर की कैटेगरी के आधार पर हाई/मीडियम/लो की श्रेणी में विभाजित किया गया है। जीएसटीएन द्वारा प्रदत्त बीफा लॉग-इन क्रेडेन्शियल प्रत्येक जोनल अपर आयुक्त के पास उपलब्ध है, जिसका प्रयोग करते हुये जोनल अपर आयुक्त प्रति माह ज़ारी होने वाले नवीन पंजीयन को रिस्क स्कोर की कैटेगरी के आधार पर ''हाई एवं मीडियम'' रिस्क स्कोर वाले नवीन पंजीकृत करदाताओं को सूचीबद्ध करेंगे।

1.5.2-जोनल अपर आयुक्त द्वारा ''हाई एवं मीडियम'' रिस्क स्कोर वाले नवीन पंजीयन की सूची आगामी माह की 07 तारीख़ तक सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) को उपलब्ध करायी जायेगी।

1.5.3-जोनल अपर आयुक्त यह अनुश्रवण करेंगे कि उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के समस्त नवीन पंजीयन का पंजीयन ज़ारी होने के छः (6) माह के भीतर, UPGST Field visit App/GSTN Tax officer App के माध्यम से पुनः भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

1.5.4-जोनल अपर आयुक्त द्वारा छः माही भौतिक सत्यापन की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार पंजीयन प्रकोष्ठ के राज्य कर अधिकारियों का उपयोग भौतिक सत्यापन के कार्य हेतु किया जाए।

1.5.5-प्रत्येक संभाग के संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) अपने अधीनस्थ खण्डों में समस्त नये जीएसटी पंजीयनों के अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी होंगे। संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) द्वारा जोनल अपर आयुक्त से प्राप्त रिस्क स्कोर आधारित नवीन पंजीकृत करदाताओं का छः माह के भीतर पुनः भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाए ।

1.5.6-भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी यथासम्भव घोषित व्यापार स्थल के पास के दो स्वतंत्र गवाहों का इस आशय के बयान दर्ज करें कि पंजीयन लिए हुए फर्म पर सामान्य दिनों में व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त सत्यापन हेतु पूर्व में ज़ारी परिपत्र संख्या-1819063 दिनांक 14-11-2018 के माध्यम से निर्गत निर्देशों के अतिरिक्त छः माह के भीतर किए जाने वाले भौतिक सत्यापन में फर्म के कार्यरत होने की प्रास्थिति, फर्म द्वारा रिटर्न दाखिले की स्थिति, उपलब्ध स्टॉक का एक अनुमानित मूल्य तथा सत्यापन के समय व्यापार की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का विवरण अवश्य दर्ज किया जाए।

1.5.7-प्रत्येक खंड के उपायुक्त द्वारा अपने अधीनस्थ सहायक आयुक्त एवं राज्य कर अधिकारी से बिन्दु संख्या-1.1 से बिन्दु संख्या-1.4 तक निर्धारित प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। प्रत्येक खंड के उपायुक्त उनके खण्ड कार्यालय हेतु सम्भागीय संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) द्वारा रिस्क स्कोर के आधार पर उपलब ध करायी गयी सूची में दर्ज नये पंजीयनों का पुनः भौतिक सत्यापन छः माह के भीतर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

1.6 NGTPs के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही:-

1.6.1-NGTPs का पंजीयन पूर्वगामी प्रभाव से पंजीयन की तिथि से ही नियमानुसार निरस्त किया जाए।

1.6.2-NGTPs के मामलों में चेन एनालिसिस की जाए जिससे कि सभी सक्रिय Beneficiary की जानकारी विभाग को प्राप्त हो एवं उनसे सम्बन्धित खण्ड के खण डाधिकारी को अविलम्ब पत्राचार एवं दूरभाष के माध्यम से उपरोक्त के सम्बन्ध में अवश्य अवगत कराया जाए जिससे कि प्रत्येक चरण पर राजस्व क्षरण रोका जा सके।

1.6.3-NGTPs की फीडिंग NGTP पोर्टल पर अनिवार्यत: करायी जाए।

2. <u>अधिकारियों का प्रशिक्षण</u>:-

उत्तर प्रदेश राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ द्वारा विभागीय अधिकारियों के लिए निम्नलिखित विषयों पर संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएँगे, जिनमे खण्ड कार्यालय में तैनात प्रत्येक अधिकारी तथा संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे-

2.1 साइबर सुरक्षा—जीएसटी पंजीयनों एवं रिटर्न में डिजिटल धोखाधड़ी की पहचान एवं रोकथाम।

2.2 साइबर ऑडिट—डिजिटल अभिलेखों, जीएसटी रिटर्न एवं लेनदेन के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल की जाँच की पद्धतियाँ।

2.3 कंप्यूटर एवं अभिलेखों की फॉरेंसिक जाँच—धोखाधड़ी की जाँच में कंप्यूटर, डिजिटल उपकरणों एवं अभिलेखों की परीक्षण तकनीक।

2.4 GST Network के AI टूल्स—विश्लेषण पोर्टल, जोखिम स्कोरिंग, नेटवर्क विश्लेषण एवं GSTN द्वारा उपलब्ध कराये गए समस्त **AI**-संचालित उपकरणों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण।

2.5 NGTPs के पंजीयनों की पहचान—भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेज जाँच के दौरान NGTPs के संकेतकों की क्षेत्र स्तरीय पहचान की तकनीक।

2.6 GSTN विश्लेषण उपकरणों का उपयोग न करने अथवा अनिवार्य प्रशिक्षण में भाग न लेने वाले अधिकारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) में तदनुसार प्रविष्टि की जाएगी।

3. <u>अनुशासनात्मक कार्यवाही</u>:-

3.1 नए पंजीयनों का समय पर भौतिक सत्यापन न करने वाले राज्य कर अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

3.2 जहाँ किसी अधिकारी की निष्क्रियता के कारण NGTPs का पंजीयन सक्रिय रहती है अथवा राजस्व की क्षति होती है, वहाँ विधि के अनुसार उस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

4. <u>अनुपालन प्रतिवेदन</u>:-

4.1 मासिक अनुपालन प्रतिवेदन:-

प्रत्येक संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक) द्वारा अपनी समीक्षा बैठकों में नवीन पंजीयनों का अनुश्रवण करते हुए मासिक अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। प्रतिवेदन में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होंगे:

4.1.1-माह के दौरान प्रदान किये गए नये पंजीयनों की संख्या।

4.1.2-माह में किये गये एवं लंबित भौतिक सत्यापनों की संख्या।

4.1.3-रिस्क स्कोर के आधार पर जोनल अपर आयुक्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में दर्ज नवीन पंजीकृत करदाताओं के छः माही भौतिक सत्यापन की पूर्ण स्थिति।

4.1.4-संदिग्ध बोगस पंजीयनों के चिह्नित मामले एवं की गई कार्यवाही।

4.2 संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) इन प्रतिवेदनों का संकलन कर अगले माह की 10 तारीख़ तक एक समेकित मासिक प्रतिवेदन जोनल अपर आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

4.3 **सम्बन्धित** जोनल अपर आयुक्त इन समस्त प्रतिवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए अनुपालन आख्या से मुख्यालय के जीएसटी ऑडिट अनुभाग को अगले माह की 20 तारीख़ तक अवगत कराया जाएगा।

4.4 **मुख्यालय के** जीएसटी ऑडिट अनुभाग द्वारा समस्त जोनल अपर आयुक्त द्वारा प्रेषित मासिक प्रतिवेदनों की नियमित समीक्षा की जायेगी।

5. <u>सामान्य निर्देश</u>:-

5.1 यह परिपत्र केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर ज़ारी किसी अन्य परिपत्र, आदेश अथवा निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ज़ारी किया जा रहा है और ऐसे समस्त अन्य निर्देश प्रभावी रहेंगे।

5.2 यह परिपत्र ज़ारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5.3 इन निर्देशों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर जीएसटी ऑडिट अनुभाग की ईमेल आईडी ctgstaudithqlu-up@up.gov.in पर सूचित किया जाए।

Digitally signed by
NITIN BANSAL
Date: 26-05-2026
17:54:00

(डा0 नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश।